IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम : एक कानूनी विश्लेषण

अपूर्वा रजावत, शोधार्थी, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हॉयर ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिर्वसिटी, उदयपुर राज0

डॉ पुष्पा मेहदू, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हॉयर ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिर्वसिटी, उदयपुर राज0

सारांश :– दक्षिण राजस्थान अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर पिछड़े जिलों में बाल श्रम की समस्या एक गम्भीर चुनौती है। इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों में गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानताओं के कारण बच्चों को नियोजित किया जाता है। यह लेख इस सामाजिक कुप्रथा की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द : बाल श्रम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, पुनर्वास नीति, जनजातीय समुदाय, प्रशासनिक कार्यवाही।

1. प्रस्तावना – भारत में बाल श्रम एक ऐसी कुरीति है, यह एक ऐसी वास्तविकता है जो संविधान के मूल अधिकारों के विपरीत है। विशेष रूप से दक्षिण राजस्थान अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जैसे आदिवासी पिछड़े क्षेत्र सम्मिलित हैं; में बाल श्रम एक संकट बन चुका है। दक्षिण राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति बाल श्रम को बढ़ावा देती है।

2. कानूनी परिभाषा और संवैधानिक प्रावधान– भारत में बाल श्रम की समस्या का समाधान करने हेतु विधि है जो बच्चों को शोषण, अमानवीय श्रम और खतरनाक कार्यों से सुरक्षा देती है। दक्षिण राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्रभावशीलता अक्सर व्यावहारिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण सिद्ध होती है।

2.1 बाल श्रम की कानूनी परिभाषा– बाल श्रम (ब्ीपसक संइवनत) कोई एकसमान अवधारणा नहीं है, बल्कि यह उस कार्य को संदर्भित करता है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक या सामाजिक विकास को बाधित करता है और उन्हें शिक्षा से वंचित करता है। संशोधन के बाद यह अधिनियम निम्न को स्पष्ट करता है:

- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता
- किसी भी उल्लंघन पर दंडस्वरूप ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना और/या 3 महीने से

2 साल तक की सजा हो सकती है ।

2.2 भारतीय संविधान के प्रासंगिक प्रावधान–भारतीय संविधान में बाल श्रम पर रोक और बाल अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों दोनों में प्रावधान किए गए हैं।

2.3 दक्षिण राजस्थान में इन प्रावधानों की प्रासंगिकता– दक्षिण राजस्थान में इन संवैधानिक और विधिक प्रावधानों का प्रभाव सीमित है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

ऽ कमज़ोर प्रवर्तन एजेंसियाँ – श्रम निरीक्षण और बचाव दल ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय नहीं हैं।

ऽ सामाजिक स्वीकृति – कई समुदायों में बाल श्रम एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्वीकार्य है।

ऽ शैक्षिक व्यवस्था की विफलता – स्कूलों की गुणवत्ता और पहुंच न होने के कारण बच्चे कार्य करने को विवश होते हैं।

ऽ राजस्व हित – खनन और कृषि उद्योगों में बाल श्रमिकों का उपयोग सस्ता विकल्प माना जाता है।

3. दक्षिण राजस्थान में व्यावहारिक स्थिति– दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम की समस्या केवल एक कानूनी नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता में है। इस क्षेत्र के जिलों जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और प्रतापगढ़ में बाल श्रम की स्थिति गहन और बहुआयामी है।

1 क्षेत्रीय सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य

2 खनन, बीड़ी और कृषि क्षेत्र में बाल श्रम

3 घरेलू काम और बालिकाओं का दोहरा शोषण

4 सरकारी हस्तक्षेप और बचाव अभियान

5 बाल व्यापार और तस्करी की घटनाएँ

6 मीडिया और नागरिक संगठनों की भूमिका

4. चुनौतियाँः दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम से निपटने की प्रमुख बाधाएँ – दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम की समस्या को समझने के लिए उन जमीनी चुनौतियों की विस्तृत विवेचना आवश्यक है, जो न केवल बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करती हैं, बल्कि उनके अधिकारों के संरक्षण में भी व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

1. गंभीर गरीबी और बेरोजगारी

2. सामाजिक और कानूनी जागरूकता की कमी

3. शिक्षा संस्थानों की अनुपलब्धता और गुणवत्ताहीन शिक्षा

4. बाल तस्करी और बाल व्यापार

5. कानून का कमजोर कार्यान्वयन

5. सुझाव – दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम की गहराई को देखते हुए केवल दंडात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके समाधान के लिए बहुआयामी, संस्थागत और समुदाय–आधारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं। निम्नलिखित सुझाव नीतिगत, प्रशासनिक और कानूनी सुधार की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं:

1 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं आर्थिक प्रोत्साहन की योजनाएं

2 पंचायत स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन निगरानी तंत्र की स्थापना–

3 विशेष बाल श्रम न्यायाधिकरण

4 बाल तस्करी और श्रम हेतु आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी

6 निष्कर्ष – दक्षिण राजस्थान में बाल श्रम की समस्या केवल एक सामाजिक विकृति नहीं है, बल्कि यह हमारे संवैधानिक मूल्यों, कानूनी संरचना और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की विफलता को भी उजागर करती है। यह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला अपराध भी है। जब तक राज्य सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन और समाज संयुक्त रूप से कठोर रुख नहीं अपनाते, यह समस्या बनी रहेगी। कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, पुनर्वास की संपूर्ण योजनाएं, शिक्षा का प्रसार और जन–जागरूकता ही इस लड़ाई के प्रमुख हथियार हो सकते हैं। बाल श्रम से मुक्ति कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं, बल्कि एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है, जिससे भारत को दक्षिण राजस्थान से शुरुआत कर, राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ

- Bachpan Bachao Andolan v. Union of India, AIR 2011 SC 3361.
- Constitution of India (1950).
- Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016.
- Kumar, S. (2003). *Child Labour in Urban Rajasthan: A Sociological Study*. University of Rajasthan.
- M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu, (1996) 6 SCC 756.
- Save the Children. (2011). *Child Sensitive Social Protection in South Rajasthan*.
- The Hindu. (2024, February 5). *Special rescue drive frees 36 child labourers in Udaipur*. Retrieved from https://www.thehindu.com
- Times of India. (2021). *Child Labour Income Statistics in South Rajasthan*. Retrieved from https://www.timesofindia.com
- Free Press Journal. (2023). *Child Trafficking Cases in Tribal Rajasthan*. Retrieved from https://www.freepressjournal.in